IJESRR International Journal of Education and Scientific Research Review
E-ISSN: 2348 - 6457
P-ISSN: 2349 - 1817
Email:-Info@ijesrr.org October 2021 www.ijesrr.org

भारत में स्वतत्रंता पूर्व विभिन्न शिक्षानीतियों का संक्षिप्त विश्लेषण

Dr.Priyanka Bansal
Assistant Professor
IIMT University Meerut

सार

भारत में प्राथमिक शिक्षा का विकास विशेष रूप से 1947 के बाद हुआ है। स्वतन्त्रता के पश्चात् केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा के लिये अनेक नीतियाँ अपनायी। जिससे कि ''प्राथमिक शिक्षा'' का प्रचार एवं प्रसार सारे देश में किया जा सके। प्राथमिक शिक्षा समाज की प्रगति का मुख्य आधार है यही कारण है कि आधुनिक युग में प्राथमिक शिक्षा का स्तर समाज की समृद्धि का सूचक माना जाता है। शिक्षा का स्तर ऊँचा करने के लिये शिक्षकों पाठ्यक्रमों, शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तक, विद्यालय भवन आदि में सुधार के लिए प्रयासरत हैं। जो समाज अथवा राष्ट्र जितना जागरूक होगा उतनी ही सीमा तक प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देगा वास्तव में जन चेतना के लिये प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता है। शिक्षा वह गतिशील एवं सामाजिक प्रक्रिया है जो मनुष्य की आन्तरिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करने में सहायता देती है जिससे वह अपने समाज, राष्ट्र, विश्व और सम्पूर्ण मानवता के हित में चिन्तन, संकल्प और कार्य कर सके ''अरस्तु के शब्दों में ''शिक्षा मनुष्य की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है जिससे वह परम सत्य, शिव और सुन्दरम् का चिन्तन करने योग्य बन सके'' प्राथमिक शिक्षा का विकास सामान्य जन शक्ति के विकास से सम्बद्ध है। प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में 5 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। प्राथमिक शिक्षा बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक विकास में सहायता प्रदान करती है इसी के साथ बच्चों के चरित्र का विकास करने में भी प्रयास किया जा रहा है।

प्रस्तावना

हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और हमारी शिक्षा का पदार्पण आधुनिक भारत के सन्दर्भ में हुआ। स्वतंत्र भारत में महिला की सामाजिक स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहा था। महिला जिन बन्धनों में बंधी हुई थी, वह धीरे–धीरे बन्धनों से मुक्त होती जा रही थी। जिस स्वतंत्रता से उसे वंचित कर दिया गया था, वह उसे पुनः प्राप्त हो रही है। महिलाओं के प्रति पुरुषों का दृष्टिकोण बदल रहा है। उनकी मान्यताऐं भी बदल रही हैं। भारतीय संविधान ने भी महिला को समकक्षता प्रदान करते हुए घोषित किया है–''राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान पर कोई विभेद नहीं करेगा।'' यथार्थ में महिलाओं ने अपने वास्तविक विकल्प को जानना और उसको पहिचानना शुरू कर दिया है। और वह अपनी गिरी हुई दशा के प्रति सचेत हुई है। यही कारण है कि आधुनिक भारत महिला जागरण का युग बन गया है, और महिला शिक्षा के सभी क्षेत्रों में विलक्षण क्रान्ति दिखाई दे रही है आज हम देखते हैं कि लड़कियां कला और विज्ञान के अतिरिक्त गृह विज्ञान, हस्तकला, शिल्पकला की भी शिक्षा प्राप्त करने को भी स्वतंत्र हैं। मैडिकल और इन्जीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। उच्च स्तर तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे अधिक अंक प्राप्त कर महिलाओं ने सिद्ध कर दिया है कि उनका मानसिक स्तर पुरुषों से किसी प्रकार कम नहीं है। स्वर्गीय पं० जवाहर लाल नेहरू ने ठीक ही कहा था कि 'एक लड़के की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है किन्तु एक लड़की की दिशा सारे परिवार की शिक्षा है।'

स्वतन्त्रता से पूर्व भारत में ब्रिटिश राज्य पूर्णतः अपनी जड़े जमा चुका था। इस समय ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित शिक्षा–नीतियाँ अधिक प्रचलित थी। इनके साथ–साथ भारतीय विद्वानों ने भी विभिन्न शिक्षा–नीतियाँ प्रस्तुत की थी। जिनका विवरण निम्नलिखित है–

लार्ड कर्जन की शिक्षा नीतिः (1904)

''लार्ड कर्जन ने 'शिमला शिक्षा–सम्मेलन, सन् 1901 ई0 में पारित प्रस्तावों के आधार पर एक शिक्षा–नीति तैयार की और 11 मार्च, सन् 1904 ई0 को उसे एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किया। शिक्षा–नीति सम्बन्धी इस प्रस्ताव में सर्वप्रथम तत्कालीन भारतीय शिक्षा के दोषों का उल्लेख किया गया' और उसके बाद उसमें सुधार हेतु नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई।'' शिक्षा नीति, सन् 1904 ई0 सम्बन्धी सुझावों को निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध किया जा सकता है।

प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा सुझाव

- ''प्राथमिक शिक्षा के प्रति कम ध्यान दिया गया है और उसके प्रसार के लिए कोई ठोस कदम नही उठाए गए है। अतः उसका प्रसार करना सरकार का मुख्य कर्त्तव्य है।''
- स्थानीय निकाय प्राथमिक शिक्षा–कोष को केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही व्यय करें। प्रान्तीय सरकारें इन्हे आवश्यकतानुसार अनुदान दें। यह अनुदान परीक्षाफल पर आधारित न होकर क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर दिया जाए और प्रान्तीय सरकारें प्राथमिक शिक्षा पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत वहन करें।

गोखले विधेयक एवं शिक्षा –नीति 1911

''गोपाल कृष्ण गोखले ब्रिटिश काल में केन्द्रीय धारा सभा के सदस्य थे।'' गोखले अपने समय के अच्छे समाजसेवक, वक्ता, शिक्षा शास्त्री थे तथा उन्होंने उच्च धारा सभा में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पेश किया। यह प्रस्ताव इस प्रकार था।

यह सभा सिफारिश करती है कि सम्पूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं गैरसरकारी अधिकारियों का एक संयुक्त आयोग शीघ्र नियुक्त किया जाये। अपने इस प्रस्ताव के सन्दर्भ में गोखले ने निम्नलिखित सुझाव दिये जो निम्नलिखित हैः–

- प्राथमिक शिक्षा के लिए केन्द्र में अलग से प्राथमिक शिक्षा विभाग खोला जाये। जिसमें 6 से 10 आयु वर्ग के सभी बच्चो के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जा सकेगी।
- ''केन्द्रीय धारा सभा में इस प्रस्ताव पर खुलकर चर्चा हुई। केन्द्र में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रथक विभाग स्थापित किया गया और प्राथमिक शिक्षा पर नियन्त्रण करने के लिए कदम नही उठाये गए।

गोखले विधेयक–1911

गोखले ने प्राथमिक शिक्षा–सम्बन्धी अपने इस विधेयक को 16 मार्च सन 1911 ई0 को केन्द्रीय धारा सभा में पेश किया। इस विधेयक की मुख्य धाराऐं इस प्रकार थी–

- भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरम्भ करने का समय आ गया है। प्रारम्भ में नियम उन्हीं क्षेत्रों में लागू किया जाये जिनमें एक प्रतिशत बच्चे प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे है। इस प्रतिशत को निश्चित करने का अधिकार गर्वनर जनरल की काउन्सिल को होगा।
- इस शिक्षा पर होने वाले व्यय को स्थानीय निकाय और प्रान्तीय सरकारे 1:2 के अनुपात में वहन करेंगी।

शिक्षा–सम्बन्धी प्रस्ताव (नीति), 1913

यद्यपि गोखले द्धारा प्रस्तावित यह विधेयक केन्द्रीय धारा सभा में पास नही हो सका, परन्तु उनके द्धारा अपने विधेयक के पक्ष में दिए गए तर्कों में ब्रिटिश सरकार में खलबली मच गई। वे सोचने लगे कि अब भारतीयों को उनके शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों से बहुत दिनों तक वंचित नही रखा जा सकता। तभी 20 दिसम्बर, सन 1911 ई0 को ब्रिटिश सम्राट जार्ज पंचम भारत के दौरे पर आये। उन्होंने यहाँ की नब्ज को समझा और अधिकारियों को भारतीय शिक्षा की ओर विशेष घ्यान देने का निर्देश दिया। परिणामस्वरूप सरकार ने 1913, में शिक्षा के सम्बन्ध में नया प्रस्ताव पारित किया जिसे शिक्षा–नीति, सन 1913 ई0 माना गया है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण घोषणा सम्राट ने 6 फरवरी, सन 1912 ई0 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में की। उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा, कि मेरी इच्छा है कि सम्पूर्ण देश में स्कूल और कालिजों का जाल बिछा दिया जाये, जिनमें से विश्वासपात्र, निर्भीक और कुशल नागरिक निकले जो अपने उद्योगों, कृषि और अन्य व्यवसायों को सुचारू रूप से चला सकें। सम्राट की यह इच्छा ब्रिटिश अधिकारियों के लिए आदेश से कम नही थी। परिणामतः भारत सरकार नें 21 जनवरी सन् 1913 ई0

को शिक्षा सम्बन्धी नया प्रस्ताव प्रकाशित किया। इस प्रस्ताव को ही शिक्षा नीति, 1913 कहते हैं।

हर्टांग समिति, 1927–1929

भारतीय नेता दोहरी शासन व्यवस्था से सहमत नहीं थे इससे प्रभावित होकर गांधी जी ने सन 1919 ई0 में असहयोग आन्दोलन चलाया। तभी राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन भी चल रहा था। ब्रिटिश संसद ने भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक प्रगति की समीक्षा करने के लिये 8 नवम्बर, सन 1927ई0 को सरजोन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन से भारतीय शिक्षा के सम्बन्ध में भी अपने सुझाव देने के लिए कहा गया। साइमन कमीशन ने भारत में शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक सहायक समिति का गठन किया। हर्टांग को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष के नाम पर इस समिति को हटांग समिति कहा जाता है।

हर्टांग को भारतीय शिक्षा के विषय में पहले से ही पर्याप्त जानकारी था। उनकी अध्यक्षता में इस समिति ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा की नीति, प्रशासन और स्वरूप का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया और उसके बाद 11 सितम्बर, सन 1929 ई0 को अपना प्रतिवेदन साइमन कमीशन को प्रस्तुत कर दिया।

हर्टांग समिति का विश्लेषण एवं व्याख्या

हर्टांग समिति के प्रतिवेदन में अधिकांशता पूर्ववत् बातों को ही दोहराया गया है, परन्तु इसमें कुछ विशेषताऐ भी रही है। हर्टांग समिति ने बुड के घोषणा पत्र में उठाई प्राथमिक शिक्षा की समस्या अपव्यय और अवरोधन के कारणों की खोज की और उसके समाधान भी किए गये है। ''माध्यमिक स्तर की शिक्षा को परीक्षा प्रधान के स्थान पर व्यवसाय प्रधान बनाने पर बल दिया तथा उच्च शिक्षा में व्यावसायिक एवं तकनीकी विषयों पर बल देकर शिक्षित, बेरोजगारी को बढने से रोका गया'' परन्तु इस समिति के सुझाव निरर्थक है, जैसे–प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने मे शीघ्रता की गई थी और प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में भी कोई वृद्धि नही हुई। मिडिल स्कूलों के पाठ्यक्रमों में धनोपार्जन सम्बन्धी कौशलों का समावेश किया गया और किसी स्तर की शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा के प्रसार करने के स्थान उसके सिर को उठाया जाए पर हर्टांग समिति द्धारा शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए कोई विशेष कार्य नही किए गये इस समिति के सुझाव प्रायः स्पष्ट नहीं हो सके।

खैर समिति–1938–1939

वुड एवं ऐबट ने सामान्य एवं औद्योगिक शिक्षा के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को जून, सन् 1937 ई0 में प्रस्तुत की। इस निर्णय से सरकार अभी सहमत नहीं हो पाई थी। तत्पश्चात् दिसम्बर, सन् 1937 ई0 में डॉ0 जाकिर हुसैन समिति द्वारा बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट काँग्रेस के सम्मुख प्रस्तुत की गई। नई शिक्षा नीति का निर्माण करने के लिए बम्बई प्रान्त के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री बी0जी0 खैर की अध्यक्षता में दो समितियाँ नियुक्त की गई। खैर साहब की अध्यक्षता में बनी पहली समिति ने अपनी रिपोर्ट सन् 1938 ई0 में प्रस्तुत की तथा बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिये।

''खैर समिति ने सुझाव दिया कि बेसिक शिक्षा योजना को पहले ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भ किया जाना चाहिए।'' बेसिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य की जानी चाहिए। साथ ही 5 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रवेश की छूट दी जानी चाहिए।

समिति ने सुझाव दिया कि शिक्षा का माध्यम मातृ–भाषा होना चाहिए तथा शिक्षा पूरी करने के बाद बच्चों को विद्यालयों से प्रमाण–पत्र दिये जाने चाहिए। खैर समिति ने सुझाव दिया कि किसी बाह्य–परीक्षा की व्यवस्था न की जानी चाहिए तथा जो बच्चे बेसिक स्कूलों से दूसरे प्रकार के प्राथमिक स्कूलों में जाना चाहें, उन्हें कक्षा 5 पास करने के बाद ही जाने दिया जाना चाहिए।

खैर समिति का विश्लेषण एवं व्याख्या :

खैर समिति के सुझावों को उस समय केन्द्रीय सरकार ने काफी मान्यता दी, परन्तु आज के इस बढ़ते युग में खैर समिति के सुझावों को अर्थहीन ही माना गया है। ''खैर समिति ने बेसिक शिक्षा के 6 से 14 वर्ष तक के 8 वर्षीय पाठ्क्रम को दो भागों में बाँटा है– जूनियर कोर्स – 5 वर्ष (कक्षा 1 से 5 तक) तथा सीनियर कोर्स– 3 वर्ष (कक्षा 6 से 8 तक)'' यह पूर्णरूप से उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो बच्चे किसी बेसिक विद्यालय से किसी अन्य प्रकार के विद्यालय में जाना चाहे उन्हें कक्षा 5 के बाद ही जाने

दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था से प्राथमिक शिक्षा का स्तर नीचे की ओर गिर गया है जो खैर समिति द्वारा ही लागू किया गया था।

खैर समिति द्वारा जो बच्चे जूनियर बेसिक शिक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अन्य विद्यालयों में जाये उनका पाठ्यक्रम 5 वर्ष (कक्षा 6 से 10 तक) का निर्धारित पाठ्यक्रम विविध तथा औद्योगिक विषयों से परिपूर्ण हाने के बावजूद भी पूर्णरूप से सफल नहीं हो सका क्योंकि पाठ्यक्रम ऐसा है जो पूरा करने के बाद बच्चा उच्च शिक्षा में प्रवेश ले सकता है परन्तु बच्चों का शिक्षा स्तर ऊँचा नहीं हो सकता क्योंकि बच्चों का मानसिक स्तर उसकी आयु के अनुरूप ही होता है परन्तु खैर समिति की शिक्षा नीति इसीलिए असफल रही है। इसलिये उसके बहुत अच्छे परिणाम भी सामने नहीं आ सके हैं।

आचार्य नरेन्द्रदेव समिति – 1939

"बेसिक शिक्षा को प्रान्तीय सन्दर्भ में, डॉ0 जाकिर हुसैन समिति द्वारा जो बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा गया। इस समिति के अन्य सदस्य डॉ0 जाकिर हुसैन थे। इस समिति द्वारा अपनी रिर्पोट सन् 1939 ई0 में प्रस्तुत की गई। आचार्य नरेन्द्रदेव समिति ने प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के पुर्नगठन के सम्बन्ध में अपने सुझाव दिये। शिक्षा का माध्यम हिन्दुस्तानी होना चाहिए तथा इस स्तर की हिन्दुस्तानी उच्च स्तरीय पाठ्य–पुस्तकें तैयार की जानी चाहिए।

आचार्य नरेन्द्रदेव समिति ने सुझाव दिया कि सभी माध्यमिक विद्यालयों (हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कॉलिजों) को माध्यमिक कालिजों में बदल दिया जाना चाहिए ताकि इनकी शिक्षा अवधि 6 वर्ष (कक्षा 6 से 11) की होनी चाहिए जो संगठित रूप से चल सके। इस समिति के सुझाव द्वारा जूनियर बेसिक शिक्षा उत्तीर्ण छात्रों को माध्यमिक कॉलिजों की कक्षा 6 में प्रवेश देना चाहिए और सीनियर बेसिक उत्तीर्ण छात्रों को कक्षा 9 में होना चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य बालकों को समाज का उपयोगी नागरिक बनाना होना चाहिए। जिससे शिक्षा को ऊँचा उठाया जा सके तथा इसके पाठ्यक्रम का निर्माण विशेषज्ञों द्वारा कराया जाना चाहिए। समिति के सुझाव द्वारा प्राथमिक स्तर पर भाषा, साहित्य, सामान्य ज्ञान, अँग्रेजी, समाज विज्ञान और विज्ञान विषय अनिवार्य होने चाहिए तथा गणित, कला और औद्योगिक तकनीकि एवं वाणिज्य विषय ऐच्छिक होने चाहिए। समिति के सुझावों द्वारा छात्रों का चरित्र निर्माण करने, उनमें राष्ट्रीय प्रेम और समाज सेवा की भावना उत्पन्न करने, नेतृत्व–क्षमता उत्पन्न करने के लिए विद्यालयों में वाद–विवाद, समाज के सेवा कार्य और एकाउटिंग आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए।

आचार्य नरेन्द्रदेव समिति ने सुझाव दिया कि छात्रों को विद्यालयों में अवकाश के समय पढ़ने के लिए वाचनालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए। परीक्षाओं को केवल ज्ञानपरक न होकर आचार–विचारपरक बनाया जाना चाहिए। समिति ने सुझाव दिया कि स्त्री शिक्षा के विकास के लिए प्रारम्भ से ही प्रयास किये जाने चाहिए तथा बालिकाओं के लिए गृह–विज्ञान के विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। शिक्षकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए प्रान्त में एक आदर्श केन्द्रीय शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान खोला जाना चाहिए। शिक्षकों की आर्थिक और सामाजिक दशा में सुधार किये जाने चाहिए। इस समिति के सुझावों को सरकार ने काफी सराहा है।

आचार्य नरेन्द्रदेव समिति का विश्लेषण एवं व्याख्या

आचार्य नरेन्द्रदेव समिति ने जो सुझाव दिये उनमें शिक्षा का माध्यम हिन्दुस्तानी बनाने और प्रान्त में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का सुझाव बहुत ही श्रेष्ठ रहा है। इस समिति के सुझावों से लगता है कि माध्यमिक शिक्षा तो बहुउद्देश्य होनी चाहिए थी।

आचार्य नरेन्द्रदेव समिति ने शिक्षा के क्षेत्र काफी कार्य किये जो कुछ तो सफल हुए, परन्तु कुछ असफल ही रहे जैसे– 6 वर्षीय (कक्षा 6 से 11 तक) माध्यमिक शिक्षा का सुझाव उपयुक्त नही था क्योंकि इन सुझावों में माध्यमिक शिक्षा के केवल दो उद्देश्यों पर ही बल दिया गया है। एक, उपयोगी नागरिकों का निर्माण और दूसरा, बच्चों का चरित्र निर्माण का। इस समिति ने माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या के लिए अनिवार्य और ऐच्छिक विषयों की जो सूची बनाई थी वह भी अर्थहीन हो गई है। द्वितीय विश्व महायुद्ध होने के कारण समिति की सिफारिशें क्रियान्वित होने के बजाए फाइलों में ही दब कर रह गई।

सार्जेन्ट योजना 1944

''भारत के गर्वनर जनरल की प्रबन्धकारिणी कॉसिल की पुननिर्माण समिति में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को भारत से शिक्षा योजना बनाने का निर्देश दिया। जिससे भारत में ऐसी शिक्षा का विकास किया जाये जैसी ब्रिटेन में है। तभी केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड' ने अपने आदेश का पालन किया और एक योजना तैयार की इसीलिए इसे 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड' रिपोर्ट कहते है। यह योजना युद्धोत्तर भारत के लिए बनाई गयी थी इसलिए कुछ विद्वान इसे 'युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना' कहते है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष सर जॉन सार्जेन्ट थे और यह योजना उन्ही की अध्यक्षता में तैयार की थी। इसलिए विद्वान इसके उन्ही के नाम पर 'सार्जेन्ट योजना' कहते हैं।

सार्जेन्ट योजना के अनुसार आगे के 3 वर्षीय पाठ्यक्रम (कक्षा 9 से 11 तक) में कुछ विषय जैसे–मातृभाषा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, अर्थशास्त्र, कृषि और शारीरिक शिक्षा तथा कुछ विषय अलग–अलग होने चाहिए। बोर्ड के सुझावानुसार दोनों प्रकार के विद्यालयों में बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान विषय की व्यवस्था भी होनी चाहिए। माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या केवल उच्च शिक्षा में प्रवेश की दृष्टि से ही विकसित न करके यह अपने में पूर्ण इकाई होनी चाहिए तथा अंग्रेजी विषय अनिवार्य होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा (क्षेत्रीय भाषाएँ) होनी चाहिए। 50 प्रतिशत योग्य और निर्धन छात्रों को शुल्क मुक्ति दी जानी चाहिए।

सार्जेन्ट योजना ने उच्च शिक्षा सम्बन्धी सुझाव दिये कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से इण्टरमीडिटए कक्षाएँ समाप्त करके प्रथम वर्ष (कक्षा 11) माध्यमिक शिक्षा से जोड़ दिया जाना चाहिए तथा द्वितीय वर्ष (कक्षा 12) स्नातक शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए और स्नातक पाठ्यक्रम तीन वर्षीय कर दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों को कठोर कर दिया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम उपयोग बना कर विश्वविद्यालय में अनुसंधान की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। उच्च शिक्षा में प्रवेश के नियम कठोर किये जाने चाहिए जो माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण 15 छात्रों में से केवल 1 छात्र के अनुपात में ही प्रवेश ले सके।

''सार्जेन्ट योजना 1944 द्वारा शिशु और जूनियर बेसिक स्तर पर 1:3 सीनियर बेसिक स्तर पर 1:25 और हाईस्कूल स्तर पर 1:20 शिक्षक छात्र अनुपात का सुझाव दिया गया था।'' पूर्व प्राथमिक और जूनियर बेसिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए जूनियर प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए तथा इनमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता मिडिल पास हो और इस प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष होनी चाहिए। सीनियर बेसिक स्कूलों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सीनियर शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। इनमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल पास होकर प्रशिक्षण अवधि 3 वर्ष होनी चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो सके सभी प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय और महाविद्यालय आवासीय होने चाहिए। सार्जेन्ट योजना 1944 ने सुझाव दिया कि 10 वर्ष से 40 वर्ष की आयु वर्ग के निरक्षर बच्चों, युवकों और प्रौढ़ों के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए इसका उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर होना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य प्रौढों को केवल साक्षर बनाना ही नहीं होना चाहिए, उन्हें व्यावहारिक एवं व्यावसायिक ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना भी होना चाहिए। इस कार्य पर लगभग तीन करोड़ वार्षिक व्यय किया जाना चाहिए। 10 से 16 वर्ष तक के निरक्षर लड़के–लड़कियों के लिए अलग–अलग प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र बनाया जाना चाहिए। 17 से 40 वर्ष आयु के युवक एवं प्रौढ़ पुरुषों और महिलाओं के लिए ये केन्द्र समान होने चाहिए।

सार्जेन्ट योजना का विश्लेषण एवं व्याख्या

सार्जेन्ट योजना एक शिक्षा योजना है जिसका विश्लेषण एवं व्याख्या का मानदण्ड इसकी उपयोगिता ही हो सकती है। इस योजना का विश्लेषण एवं व्याख्या निम्न तथ्यों के आधार पर की जा सकती है। सार्जेन्ट योजना राष्ट्रीय एवं प्रथम शिक्षा योजना रही है जिसमें पहली बार शैक्षिक अवसरों की समानता की ओर कदम बढ़ाया गया था। इसके द्वारा प्रौढ़–शिक्षा, मन्दबुद्धि एवं विकलांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था तथा आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है।

सार्जेन्ट योजना ब्रिटिश काल की पहली शिक्षा योजना रही है जिसे भारत की तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया गया था। इस योजना में शिक्षा के सभी स्तरों पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक और उसके सभी पक्षों प्रशासन एवं संगठन आदि पर पूर्णरूप से विचार किया गया और उसका

भावी कार्यक्रम बनाया गया। भारत के बिटिश काल, में अब तक जितना भी शैक्षिक चिन्तन हुआ, वह सब इस योजना के निर्माताओं की ही देन है। उन्होंने भारतीयों को भारतीय पद्धति से यूरोपीय ज्ञान–विज्ञान में परिपक्व कर ऊँचाइयों तक पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त किया। ब्रिटिश काल की यह शिक्षा योजना रही है जिसे पूरा करने के लिए एक निश्चित समय–सीमा बनाई गई। यह 40 वर्ष का समय रहा जिसमें अनुमानित व्यय 313 करोड़ रुपया बताया गया। इस योजना में केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के शैक्षिक उत्तरदायित्व निश्चित किये गए तथा शैक्षिक कार्यों में तालमेल रखने के लिए केन्द्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना का भी सुझाव प्रस्तुत किया गया। सार्जेन्ट योजना में देशभर में व्यावसायिक निर्देशन केन्द्र और रोजगार कार्यालय खोलने का सुझाव दिया जिससे शिक्षित बेरोजगारी की समस्या हल हुई।

निष्कर्ष

उपर्युक्त सभी निष्कर्षों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान शोध पेपर में निर्धारित समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास किया है। इसके आधार पर यदि विभिन्न शासकीय नीतियों एवं नये आयामों को प्राथमिक शिक्षा में यदि पूर्णतः प्रयुक्त किया जाये तो निःसन्देह प्राथमिक शिक्षा में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सकता है। सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला कहलाने वाली प्राथमिक शिक्षा को प्रभावशाली बनाने में नये आयामों की भूमिका की अवहेलना करना ठीक नहीं होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- डॉ0 जी0एस0 वर्मा : आधुनिक भारतीय शिक्षा एवं समस्यायें, लायल बुक डिपो, मेरठ, 2015।
- सुरेश भटनागर : आधुनिक भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें, आर0 लाल बुक डिपो, मेरठ, 2012।
- डॉ0 महावीर प्रसाद गुप्ता तथा डा0 ममता : भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्यायें, साहित्य प्रकाशन, आगरा, 2017।
- डॉ0 एस0पी0 गुप्ता : भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2018।
- डॉ0 एस0एस0 माथुर : शिक्षा के दार्शनिक तथा सामाजिक आधार, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा–2, 2011।
- डॉ0 शशिकला सरीन : डॉ0 अंजली सरीन; शैक्षिक अनुसंधान विधियाँ, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा–2, 2018।